तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष पर विचार किया गया। पत्रावली का आद्योपान्त किया गया। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोष, प्रतिवादी० के जवाब एवं वांछित - अनुतोषादि पर सम्यक विचार किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यादि का अवलोकन कर विचार किया गया। तनकीवार विवेचन अधोलिखितानुसार है। __तनकी नं.1__ :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा अपने शपथ-पत्र के कथानक प्रदर्श-1 प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज के अनुसार यह प्रमाणित होता है कि वादीगण ग्राम चैनपुर की कृषि आराजी नम्बर ११२४ कुल (कबा १२)₂ में से ४/५ के कृषक खातेदार हैं। इसी प्रकार उनके द्वारा ४/५ भूमि उक्त नम्बर की ओर क्रय की हुई है। जिसका वादीगण ख.नं. ११२४ की (कबा) २)₂ के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त कृषि के क्रम में वादीगण की हैसियत धारा 5(43) में यथा परिभाषित आसामी व धारा 15 में यथा वर्णित खातेदार आसामी की है। प्रतिवादीगण का उक्त कृषि से किसी प्रकार का सरोकार होना प्रमाणित नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की उक्त आराजियात पर किसी प्रकार की मदाखलत या मजाहमत की जाती है, तो इससे वादीगण	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को इस प्रकार की क्षति होना सम्भाव्य है, जिसका प्रचलित मुद्रा के रूप में आंकलन किया जाना सम्भव ही नहीं हो। यदि प्रति० द्वारा ऐसी अवांछित तथा अनधिकृत गतिविधि वादीगण के विरुद्ध वादीगण जारी रखी तो इससे वादी० को अपरिमित क्षति प्रति० पक्षकारान के मध्य वाद बाहुल्य की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से वादीगण धारा 188 R.T. Act. 1955 के अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी पाये जाते है। अतः यह तनकीह बहक वादीगण तय की जाती है। __तनकीह नम्बर 2:—__ इस तनकीह को सिद्ध करने का भार प्रति० पर था। प्रति० द्वारा स्वयं के शपथ-पत्र के अलावा प्रदर्श 1A पेश किया है। इस प्रकरण के अतिरिक्त प्रति० के साक्ष्य के अतिरिक्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित है, कि वादग्रस्त भूमि का निर्णय न्यायालय आदेश से जरिये नामा०नं० 2332 दि० 20.2.08 से प्रति० नं. 1 के हक़, तथा बकाया खातेदारों के हक़ व हक़ हुआ। उक्त दोनों खातेदारान द्वारा वादीगण को भूमि बेचान की गई जैसा की तनकीह नं. 1 में अंकित है। तनकीह नं. 1 की विवेचना तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह तनकीह बहक	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिवादी तय की जाती है

तनकीह नं. 3:- इस तनकीह को सिद्ध करने का भार प्रति० पर था। प्रति० द्वारा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रति० नम्बर 1 द्वारा प्री-ईम्पशन एक्ट के अन्तर्गत कोई वाद माननीय न्यायालय A.D.J. रा० मण्डी में पेश कर रखा हो। प्रति० द्वारा दौराने जिरह यह स्वीकार किया है, कि मैंने एक दावा माननीय न्यायालय A.D.J. रा. मण्डी में किया था जो खारिज किया जा चुका है। वैसे उक्त न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने से या उसके खारिज होने से प्रकरण की परिस्थिति पर कोई प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक पड़ा हो ऐसा भी प्रकाशित नहीं है।

अतः यह तनकीह इसी प्रकार तय की जाती है।

तनकीह नं. 4:- तनकीह नम्बर 1 से 3 की विवेचना तथा विश्लेषण से यह प्रकाशित होता है, कि वादगत भूमि ग्राम चैन्चर ख० नं० 1124 (कला -)2 वादीगण की है, तथा ख. नं. 1124 (कला 4) प्रतिवादी नं. 1 की भूमि है।

यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर अनाधिकार मदाखलत की जाती है, तो इससे वादी० को असुविधा तथा अपरिमित क्षति होगी इसके विपरीत यदि वादीगण द्वारा भी अपने स्वत्व से अधिक प्रति० 1 की भूमि पर अनधिकार मदाखलत की जाती है तो जो परिस्थिति वादी० के विपरीत

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो हुक्म की ता[illegible] में जारी [illegible]
	है, वही प्रतिवादी नं. 1 के विपरीत ऐसी। अतः उपरोक्त के आधार पर वाद वादी० अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि प्रतिवादीगण ग्राम चौचर की भूमि ख.नं. 1124 रकबा 2 पर वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की मदाखलत न स्वयं करें, न अपने एजेन्ट से मजाहमत करें, प्रतिवादी नं. 1 की भूमि वादीगण भी प्रतिवादी नं. 1 की भूमि उनके हक के विपरीत अर्थात ख.नं. 1124 पर उनके हक के विपरीत रकबा 4) पर प्रतिवादी के स्वत्व के विपरीत मदाखलत मजाहमत नहीं करे। तदानुसार उभयपक्ष का खर्चा अपना अपना निर्धारित किया जाता है तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। 10/10/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S. निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। 10/10/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Scanned by CamScanner

Judl/Civil
Part IV-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंजमण्डी

व इजलास— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

राजेश कुमार —बनाम— चतुर्भुज

दावा बाबत— 188 R.T.Act 1955

मुकद्दमा नं.— 11 —सन्— 2010

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बहाजरी— श्री घनश्याम धाकड़ एड. —मिनजानिब मुद्दई व— श्री D.B. माहेश्वरी एड.

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि प्रति० ग्राम चेंचट की भूमि ख० नं० 1124 (रकबा 2) पर वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न स्वयं करे और न अपने एजेन्ट से करावे। वादीगण भी प्रति० नं० 1 की भूमि पर उसके हकों के विपरीत अर्थात ख० नं० 1125 (रकबा 4) पर प्रति० के स्वत्व के विपरीत मदाखलत मजाहमत नहीं करें। इच्छानुसार उभयपक्ष को अपने स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है।

तीज— —मुवलिग— —बाबत—

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— — —फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक— — —को अदा करें।

बतौर मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 10 —माह— 10 —2019

को जारी की गई।

दस्तखत—
ओहदा— उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जीदावा ..			स्टाम्प वकालतनामा ..		
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प अर्जी ..		
स्टाम्प वजह सबूत ..			महनताना वकील पर ..		
महनताना वकील ..			खर्चा गवाहान ..		
खर्चा गवाहान ..			फीस कमिश्नर ..		
फीस कमिश्नर .			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
बाबत इजराय हुक्मनामा ..			मुतफर्रिक ..		
मुतफर्रिक ..					
मीजान..	—	—	मीजान..	—	—

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो.–40–2004–1,00,000 प्र.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner